न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी	-	कनिष्का यादव, आर.जे.एस.
नम्बरी फौजदारी संख्या	-	216/16
CIS NO.	-	163/16
CNR NO.	-	**RJBW**160003622016
अंतर्गत धारा	-	16/54 राज.आब. अधि.
पुलिस थाना	-	जहाजपुर

राजस्थान राज्य

बनाम

1. चन्द्र कला पत्नी शिवराज सांसी उम्र 28 साल निवासी राधी का बाडा थाना जहाजपुर जिला भीलवाडा।

-अभियुक्ता

अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राज. आब. अधि.

उपस्थितः-

1- सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य सरकार की ओर से ।

2- श्री कैलाश चन्द्र बिडला, श्री अमित बिडला, श्रीमती सुशीला जैन, अधिवक्तागण अभियुक्ता की ओर से ।

Date of Offence	14-06-2016
Date of FIR	14-06-2016
Date of Chargesheet	04-10-2016
Date of Framing of Charges	08-02-2017
Date of commencement of evidence	01-09-2018
Statement u/s 313 Cr.P.C. Recorded on	05-3-2026
Arguments heard on	09-03-2026
Date of the Judgement	09-03-2026

ःः निर्णयःः **दिनांकः 09-03-2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 14.06.16 को मांगीलाल हेड कानि0 792 थाना जहाजपुर जिला भीलवाडा ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय के पेश की कि वह, कानि. जगदीश 39, कानि. धनराज 664, म. कानि. माना व्यास 1349, मय जीप चालक मय अनुसंधान बॉक्स के लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु थाने से 6.15 ए एम पर रवाना हो गस्त हल्का करता हुआ बोराणी पहुचा जहां जरिये मुखबीर सुचना मिली कि राधी का बाडा से बोराणी कच्चा रास्ता पर एक ओरत साडी पहनी हुई हाथ मे सफेद कलर की जरिकेन 5 लीटर में हाथ कसीद देशी शराब लेकर आयेगी। उक्त सुचना पर उपस्थित जाप्ता को अवगत करा हमरा ने बोराणी से राधी का बाडा कच्चे रास्ते पर 7.30 ए एम पर नाकाबन्दी शुरू की। दौराने नाकबन्दी 7.45 एएम पर मुताबिक सुचना के राधी का बाडा की तरफ से एक औरत हाथ मे सफेद रंग की प्लास्टिक जरिकेन लेकर आती हुई नजर आई। जिसको नजदीक आने पर जाप्ता की मदद से रोकी व नाम पता पूछा तो अपना नाम चन्द्रकला पत्नि शिवराज सांसी उम्र 28 साल निवासी राधी का बाडा थाना जहाजपुर होना बताया। जरीकेन में क्या है पुछा तो चुपी साध ली शंका होने पर महिला कानि० माना व्यास 1349 द्वारा उक्त महिला से जरीकेन कब्जे मे ले जरिकेन का ढक्कन खोल कर देखा तो तरल पदार्थ नजर आया जिसको सुंघा व चखा व औरों को भी सुंघाया चखाया तो हाथ कसीद देशी शराब होना पाया जो जरिकेन प्लास्टिक सफेद रंग 5 लीटर में 3 लीटर हाथ कसीद भरी हो अपने कब्जे मे रख श्रीमति चन्द्र कलां पत्नि शिवराज सांसी निवासी राधी का बाडा का परिवहन करना जुर्म धारा 16/54 एक्साईज एक्ट अपराध घटित होने से मुल्जिमा, महिला कानि. 1349 के बनिगरानी की जाकर मय जप्तशुदा जरिकेन जाप्ता के रवाना हो हाजिर थाना आया आदि...।

2. उक्त तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना जहाजपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 160/2016 अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राज. आबकारी

अधिनियम में पंजीबद्ध की जाकर प्रकरण में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद विस्तृत एवं आवश्यक अनुसंधान अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 16/54 राज. आबकारी अधिनियम के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

3. आरोप पत्र पर विचार करने के उपरांत अभियुक्ता के विरूद्ध दिनांक 04-10-2016 को धारा 16/54 राज. आबकारी अधिनियम का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज किया गया।

4. अभियुक्ता को धारा 16/54 राज. आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्ता द्वारा आरोप सुन-समझकर अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में निम्न गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गयेः-

पी. डब्ल्यू	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी. डब्ल्यू 1	मांगीलाल	एफआईआर कर्ता
पी. डब्ल्यू 2	धनराज	नक्शा मौका
पी. डब्ल्यू 3	महावीर प्रसाद	एफएसएल जमाकर्ता
पी. डब्ल्यू 4	जगदीश चन्द्र	नक्शा मौका
पी. डब्ल्यू 5	माना	फर्द गिरफतारी
पी. डब्ल्यू 6	परमेश्वर प्रसाद	अनुसंधान अधिकारी
पी. डब्ल्यू 7	नेमीचन्द	चार्जशीट किताकर्ता

प्रलेखिय साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये गयेः-

क्र0सं0	प्रदर्श	विवरण
1	प्रदर्श पी. 1	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी. 2	चाक एफआइआर
3	प्रदर्श पी. 3	नक्शा मौका घटनास्थल

4	प्रदर्श पी. 4	फर्द जब्ती अवैध हथकड शराब
5	प्रदर्श पी. 5	फर्द गिरफ्तारी मुलजिमा चन्द्रकला
6	प्रदर्श पी. 6	पुलिस थाना जहाजपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक भीलवाडा जिला भीलवाडा को नमूना सैम्पल एफ.एस.एल. भिजवाकर जांच रिपोर्ट मंगवाने बाबत पत्र
7	प्रदर्श पी. 7	कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला भीलवाडा द्वारा जारी अग्रेषण पत्र
8	प्रदर्श पी. 8	प्राप्ति रसीद
9	प्रदर्श पी. 9	नकल रोजनामचा
10	प्रदर्श पी. 10	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
11	प्रदर्श पी. 11	एफएसएल रिपोर्ट

6. अभियुक्ता का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत दिनांक 05-03-2026 को किया गया जिसमें अभियुक्ता द्वारा उसे झूठा फंसाना बताते हुए स्वयं के निर्दोष होने का कथन किया तथा प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा।

7. प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली व संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न हैः-

1. "क्या दिनांक 14-06-2016 को समय लगभग 07.45 एएम पर स्थान वाके मौजा बोराणी से राधी का बाडा कच्चे रास्ते में अभियुक्ता चन्द्रकला के चैतन्य आधिपत्य से एक 5 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक के जरीकेन में 03 लीटर नाजायज हथकड शराब बिना वैध लाइसेंस व परमिट के बरामद की गई ?"

2. यदि हॉ, तो उपयुक्त दण्ड क्या होगा ?

8. दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया है कि प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्ता को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध

घोषित किया जाकर विधि अनुसार दण्डित किया जावे।

9. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता का यह तर्क रहा है कि अभियुक्ता निर्दोष हैं, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध अपनी साक्ष्य द्वारा संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्ता को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10. विचारणीय बिन्दू के समर्थन में अभियेाजन पक्ष ने कुल 7 गवाह परीक्षित कराए है। जिसमें से गवाह पी ड 1 मांगीलाल हस्तगत प्रकरण का परिवादी है जिसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर हस्तगत प्रकरण संस्थित हुआ है। उक्त गवाह ने दौराने मुख्य परीक्षा कथन किए हैं कि वह दिनांक 14.04.2016 को हे. का. के पद पर थाना जहाजपुर पर तैनात था उस दिन वह मय जाप्ता जगदीश, माना देवी, मय सरकारी जीप वास्ते माईनर एक्ट की कार्यवाही हेतू थाने से रवाना होकर बोरानी पहूंचा जहां पर मुखबीर से सूचना मिली कि एक महिला साडी पहनी हुई राधिका बाडा की तरफ से हाथ में सफेद रंग की जरिकेन जिसमें शराब लेकर आ रही है। उक्त सूचना से उप० जाप्ता को अवगत करा रवाना हो राधिका बाडा से बोरानी आने वाले कच्चे रास्ते पर नाका बन्दी की, दोराने नाकाबन्दी मुताबिक हुलिया के एक महिला आती हुई दिखाई दी जिसको नजदीक आने पर महिला का० माना व्यास एवं उप० जाप्ता मन ए एस आई ने रोकी तथा नाम पता पूछा तो चन्द्रकला पत्नि शिवराज सांसी निवासी राधिका बाडा होना बताया। जरिकेन में क्या है बाबत पूछा तो उसने कोई जवाब नही दिया तो महिला का० माना व्यास के द्वारा जरिकेन को महिला के कब्जे से लिया और देखा तो जरिकेन 5 लीटर की थी जिसमें तरल पदार्थ जैसा नजर आया जिसको सूंघा और चखा जाप्ते को सुंघाया, चखाया तो जरिकेन में हाथकसी देशी शराब 3 लीटर होना पाया। महिला को शराब जरिकेन अपने कब्जे में रख परिवहन करने बाबत परमिट लाईसेंस मांगा तो नही होना बताया। उक्त महिला का उक्त कृत्य 16/54 एक्साईज एक्ट का अपराध गठित होने से मोके पर ही शराब जरिकेन में से वास्ते एफ एस एल जांच हेतू एक कांच के अध्धे में 300 एम एल नमूना शराब निकाल कर शेष शराब जरिकेन को दोनो को हमरा लेकर थाने पर पहूंच

कर कानूनी कार्यवाही हेतू एस एच ओ को रिपोर्ट प्रस्तुत की। लिखित रिपोर्ट प्र0 पी 1 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफ आई आर प्र. पी. 2 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मोका उसके सामने बनाया जो कि प्र0 पी 3 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह कथन किए हैं कि घटना सुबह के समय की थी। घटना अप्रेल के महिने की है। महिला की उम्र लगभग 28 साल थी। यदि वो महिला आज न्यायालय में उप0 हो तो वह उसको पहचान सकता है मुलजिमा आज हाजिर अदालत है। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने तो घटना की रिपोर्ट दिनांक 14.04.2016 को दे दी थी। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि बोरानी से राधिका बाडा आने वाले मुख्य रास्ते से होकर ही मुलजिमा के आने की मुखबीर ने सूचना दी थी और उसी रास्ते पर उन्होंने नाकाबन्दी की थी। जिस जगह से इन्होंने मुलजिमा को पकड़ा था उसके आसपास केवल देवली से जहाजपुर का रास्ता है कोई मकान नही है। जरिकेन सफेद रंग की थी। यह उसे जानकारी नही है कि एक महिला अथवा एक आदमी कितने लीटर शराब रख सकता है जो वेद्य हो। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने महिला से किसी प्रकार की जप्ती नहीं की हो और ठेके वालो से मिलकर गलत तफ्तीश की हो।

इस प्रकार उक्त लिखित रिपोर्ट पेशकर्ता गवाह ने दौराने मुख्य परीक्षा घटना 14.04.2016 की बताई है एवं दौराने जिरह भी घटना अप्रेल के महीने की बताई है एवं गवाह ने घटना की रिपोर्ट दिनांक 14.04.2016 को ही देना स्वीकार किया है। जबकि गवाह द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 का अवलोकन करे तो उसके पुष्ट भाग पर की गई कार्यवाही पुलिस में दिनांक 14.06.2016 अंकित है। व चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 में घटना 14.06.2016 होना अंकित है। जिससे उक्त गवाह के कथनों से घटना की दिनांक (माह) के संबंध में ही संदेह उत्पन्न होता है एवं गवाह के कथन उसके स्वयं द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 के पुष्ट भाग पर की गई कार्यवाही पुलिस से विरोधाभासी होना दर्शित होते है।

11. गवाह पी.ड. 2 धनराज मौके का एवं जप्ते का गवाह है जिसने दौराने मुख्य परीक्षा कथन किए हैं कि दिनांक 14.06.2016 को सुबह सवा 6 बजे की

बात है। वह हेड कानि. मागी लाल, कानि जगदीश, महिला कानि0 माना देवी मय सरकारी गाड़ी व चालक भगवती लाल उच्च अधिकारीयो के आदेश से माईनर एक्ट की कार्यवाही हेतु बिन्धया भाटा, बोराणी की तरफ गये थे। जब जाब्ता बोराणी पहुंचा तो मुखबिर से सूचना मिली कि पांच दस मिनट में राधिका बाड़ा की तरफ से एक औरत जो साड़ी पहने हुए आ रही है, उसके हाथ में प्लास्टिक की जरिकेन है जिसमें कच्ची शराब हो सकती है। लगभग 10 मिनट बाद राधिका बाड़ा की तरफ से साड़ी पहने हुए औरत आई तो उसको हेड कानि0 मांगीलाल जी ने उसे रूकवा कर उसका नाम पता पुंछा तो उसने अपना नाम चंन्द्रकला सांसी पत्नि शिवराज सांसी निवासी राधिका बाड़ा बताया था। चन्द्रकला के हाथ में प्लास्टिक की जरिकेन के बारे में पुछा तो वह संतोषप्रद जबाव नहीं दे सकी तो मांगीलाल हेड कानि. ने महिला कानि. माना देवी को आदेश दिया कि वह प्लास्टिक जरिकेन की जांच करे। माना देवी ने जरिकेन का ढ़क्कन खोला तो उसने उसमें तरल पदार्थ होना बताया। उस पर कानि. जगदीश व गवाह ने सूंघा व चखा तो उसमें हथकड़ शराब होना पाया। जरिकेन में लगभग तीन लीटर शराब थी। जाब्ता मय चन्द्रकला व जरिकेन थाने पर पहुंचा जहां पर एसएचओ के समक्ष पेश किया, और लिखित रिपोर्ट भी पेश की। एसएचओ साहब ने लिखित रिपोर्ट पर अंकन कर शराब जब्त की। चन्द्रकला को गिरफतार किया। अनुसंधान परमेश्वरलाल जी एसआई के हवाले किया। अनुसंधान अधिकारी परमेश्वर लाल ने घटना स्थल पर पहुंच मौका मुआयना कर नक्शा मौका गवाह के सामने मुर्तिब किया जो कि प्रदर्श पी 03 है जिस पर सी से डी गवाह के हस्ता. है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी गवाह के हस्ता. है। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर है। एवं दौराने जिरह गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मांगीलाल जी ने शराब व चन्द्रकला को थानेदार जी को लाकर संभला दिया था। एसएचओ साहब ने ही चन्द्रकला को गिरफतार किया व उन्होने ही शराब को जब्त किया। एसएचओ साहब ने जरिकेन के ढ़क्कन को सीलचिट किया था। ये सारी कार्यवाही एसएचओ साहब ने थाने पर ही की थी। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि फर्द जब्ती शराब प्रदर्श पी 04 भी थाने पर ही बनाया था। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि यह

जरिकेन जिस हालत में मांगीलाल जी लेकर आये थे उसी हालत मंे एसएचओ साहब ने जब्त की हो। बल्कि एसएचओ साहब ने सेंपल निकाला था। जब चन्द्रकला को गिरफतार किया तो मौके पर गवाह, जगदीश, मांगीलाल व माना देवी मौजुद थे। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उस समय माईनर एक्ट के मुकदमें का अभियान चल रहा था ओर उसी अभियान के तहत यह मुकदमा दर्ज किया था। वह यह नहीं बता सकता कि अगर मुल्जिमा से शराब पकड़ी जाती तो मौके से ही उसे सीज किया जाता। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि सभी फर्दो पर उसके हस्ताक्षर थाने पर करवाये थे। इस प्रकार उक्त गवाह ने मांगीलाल जी द्वारा शराब व चंद्रकला को थानेदार जी को लाकर संभलाना व एसएचओ साहब द्वारा चंद्रकला को गिरफ्तार करना व उनके द्वारा ही शराब को जब्त करना एवं उनके द्वारा सारी कार्यवाही थाने पर ही करना बताया है। फर्द जब्ती शराब प्रदर्श पी 4 थाने पर ही बनाना बताते हुए इस सुझाव से इन्कार किया कि जरीकेन जिस हालत में मांगीलाल जी लेकर आये थे उसी हालत में एसएचओ साहब ने जब्त की हो बल्कि एसएचओ ने सेंपल निकाला था। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उस समय माईनर एक्ट के मुकदमे का अभियान चल रहा था और उसी अभियान के तहत यह मुकदमा दर्ज किया था। आगे यह नहीं बता सकना जाहिर किया कि अगर मुल्जिमान से शराब पकड़ी जाती तो मौके से ही उसे सील किया जाता इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि सभी फर्दो पर उसके हस्ताक्षर थाने पर करवाये थे।

12. जबकि यदि हम फर्द निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी 3, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 4, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 5 के एवं जाप्ता के चश्मदीद अन्य गवाह पी.ड. 4 जगदीश चन्द्र के बयानों का अवलोकन करें तो उक्त गवाह ने दौराने मुख्य परीक्षा गवाह पी.ड. 2 धनराज के ही समरूप कथन किये परंतु गवाह पी.ड. 02 ने दौराने मुख्य परीक्षा जाप्ता मय चन्द्रकला व जरीकेन के थाने पर पहुंचना, जहां पर एसएचओ के समक्ष पेश करना और लिखित रिपोर्ट पेश करना व एसएचओ साहब द्वारा लिखित रिपोर्ट पर अंकन कर शराब जब्त करना बताया है जबकि गवाह पी.ड. 4 जगदीश ने दौराने मुख्य परीक्षा नियमानुसार एफएसएल जांच हेतु

नमूना निकालकर नियमानुसार जब्त कर वापसी थाना आना बताया है। इस प्रकार उक्त जब्ती के ही दोनों गवाहों के मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों में ही विरोधाभास है क्योंकि गवाह पी.ड. 2 धनराज थाने पर पहुंचने पर एसएचओ साहब द्वारा शराब जब्त करना बताता है, वही गवाह पी.ड. 4 जगदीश मौके पर एफएसएल जांच हेतु नमूना निकालकर नियमानुसार जब्त कर थाने पर वापस आना बताता है।

13. इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड. 4 जगदीश ने दौराने मुख्य परीक्षा प्रदर्श पी 5 उसके सामने मौके पर ही बनायी जाना, घटना स्थल बोराणी से राधी का बाड़ा होना बताया है। जबकि गवाह पी.ड. 2 धनराज ने एसएचओ साहब द्वारा चंद्रकला को गिरफ्तार करना बताया है। यानि फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 5 का एक गवाह मौके पर ही गिरफ्तारी बनाना अभिकथित कर रहा है। जबकि दूसरा गवाह थाने पर एसएचओ द्वारा गिरफ्तार करना बता रहा है जिससे फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 5 के उक्त दोनों गवाहों के विरोधाभासी कथनों से अभियुक्ता की फर्द गिरफ्तारी ही संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती कि फर्द गिरफ्तारी मौके पर ही बनायी गयी थी या थाने पर बनायी गयी थी।

14. इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड. 4 जगदीश ने गिरफ्तारी एफआईआर दर्ज होने से पहले बनायी जाना अभिकथित किया है जबकि यदि हम लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 के पीछे की गयी कार्यवाही पुलिस का अवलोकन करें तो उस पर दिनांक 14.06.2016 समय 8.30 एएम अंकित है इसके अतिरिक्त यदि फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 5 का अवलोकन करें तो उक्त पर दिनांक 14.06.2016 समय 08.45 एएम अंकित है जिससे उक्त फर्दों के अवलोकन से एफआईआर पहले दर्ज होना तत्पश्चात गिरफ्तारी होना जाहिर है परंतु गवाह पी.ड. 4 उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से विरोधाभासी कथन कर अभियोजन कहानी की सत्यता पर संदेह उत्पन्न करता है।

15. इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड. 4 जगदीश चन्द्र ने दौराने जिरह कथन किये हैं कि माल को उसके सामने मौके पर ही मांगीलाल जी ने चिट दस्ता किया था माल को चिट दस्ता करने के बाद में एसएचओ साहब को दे दिया था।

माल का सैंपल मौके से ही निकाला था। जबकि जब्ती के ही अन्य गवाह पी.ड. 2 धनराज ने मांगीलाल जी द्वारा शराब थानेदार जी को लाकर संभलाना व थानेदार जी द्वारा शराब को जब्त करना, सिट चिट करना व सारी कार्यवाही एसएचओ साहब द्वारा थाने पर करना, एसएचओ साहब द्वारा सैंपल निकालना अभिकथित किया है। इसके अतिरिक्त परिवादी पी ड 1 मांगीलाल ने दौराने मुख्य परीक्षा मौके पर ही शराब जरीकेन में से वास्ते एफएसएल जांच हेतु एक कांच के अध्धे में 300 एम एल नमूना शराब निकालकर शेष शराब जरिकेन को दोनों को हमरा लेकर थाने पर पहुंच कर कनूनी कार्यवाही हेतु एसएचओ साहब को रिपोर्ट प्रस्तुत करना बताया हैं जबकि पी ड 7 नेमीचंद ने दौराने मुख्य परीक्षा कथन किए कि दिनांक 14-06-2016 को श्री मांगीलाल हेड कानि. मय पुलिस जासा के आरोपिया चन्द्रकला सांसी के कब्जेशुदा तीन लीटर हथकड शराब के उसके समक्ष रिपोर्ट सहित पेश की जिस पर उसके द्वारा आरोपिया चन्द्रकला के समक्ष कब्जेशुदा हथकड शराब के जरीकेन से 300 एम एल हथकड शराब निकालकर एक अध्धे में निकालकर सिलचिट किया शेष हथकड शराब को पांच लीटर के जरिकेन में ही रखकर सिलचिट कर मार्क ए तथा ए1 दिया। इस प्रकार उक्त दोनों महत्वपूर्ण गवाहों के कथनों में ही सैम्पल निकालने बाबत तात्विक विरोधाभास है। परिवादी पी ड 1 मांगीलाल मौके पर ही सैम्पल निकालना बताता है जबकि गवाह पी ड 7 नेमीचंद थाने पर उसके द्वारा सैम्पल निकालकर सिलचिट करना बताता है। जिससे फर्द जब्ती प्रदर्श पी 4 की पुष्टि ही संदेह से परे नहीं होती है एवं जब्ती पर संदेह उत्पन्न होता है कि जब्ती मौके पर की गई या थाने पर, जब्तशुदा शराब में से सैंपल मांगीलाल जी ने निकाला या एसएचओ ने।

16. इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड. 4 जगदीश चन्द्र ने दौराने जिरह इस सुझाव से इन्कार किया कि सभी फर्दों पर हस्ताक्षर थाने में ही करवाये थे। जबकि गवाह पी.ड. 2 धनराज इस सुझाव को स्वीकार कर रहा है कि सभी फर्दों पर उसके हस्ताक्षर थाने पर करवाये थे। इस प्रकार जासे के गवाहों के परस्पर विरोधाभासी कथनों से संपूर्ण अभियोजन कहानी व हस्तगत प्रकरण में की गयी गिरफ्तारी व जब्ती पर ही संदेह उत्पन्न होता है।

17. इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड. 2 धनराज ने व पी.ड. 4 जगदीश ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उस समय माईनर एक्ट के मुकदमे का अभियान चल रहा था और अभियान के तहत ही यह मुकदमा दर्ज किया था इसके अतिरिक्त जाब्ते के ही एवं मौके के चश्मदीद गवाह पी.ड. 5 माना के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पी.ड. 5 माना ने पी.ड. 4 जगदीश चंद्र के समरूप ही कथन करते हुए एफएसएल जांच हेतु नमूना निकालकर नियमानुसार जब्त कर वापसी थाना आना बताते हुये फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 5 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना अभिकथित किया है।

18. दौराने जिरह उक्त चश्मदीद व जाब्ते के सदस्य ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 5 बनायी तब तक उस महिला के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि किसी व्यक्ति के उपर मुकदमा दर्ज हुए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि चन्द्रकला की गिरफ्तारी तक उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। इस कारण उस समय चन्द्रकला की गिरफ्तारी गलत हुई। इस प्रकार उक्त चश्मदीद व जाप्ते की गवाह जो पुलिसकर्मी ही है ने स्वयं अभियुक्ता की गिरफ्तारी को गलत होना स्वीकार किया है। एवं फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 5 बनाई तब तक उस महिला के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना बताया है। जबकि दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रदर्श पी 1 पर कार्यवाही पुलिस पर समय 8.30 एएम दिनांक 14.06.2016 अंकित है व फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 5 पर 14.06.2016 समय 8.45 एएम अंकित है। इसके अतिरिक्त गवाह पी ड 5 माना ने दौराने जिरह इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि वह उस समय जब्ती अधिकारी मांगीलाल जी के अधीन काम कर रही थी। इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उनके कहने पर ही उसने फर्दों पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार उक्त गवाह के उक्त कथन कि मांगी लाल जी के कहने पर ही उसने फर्दों पर हस्ताक्षर कर दिए सम्पूर्ण अभियेाजन कहानी की सत्यता पर संदेह उत्पन्न करते है।

19. इसी अनुक्रम में अन्य गवाह पी ड 6 परमेश्वर प्रसाद अनुसंधान

अधिकारी ने अपनी अनुसंधान संबंधी कार्यवाही के संबंध में दौराने मुख्य परीक्षा कथन किए हैं। जबकि दौराने जिरह गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि शराब जप्त एसएचओ साहब नेमीचन्द जी ने की थी। फर्द जब्ती शराब प्रदर्श पी 4 है जो नेमीचन्द जी ने तैयार की थी। इस सुझाव को स्वीकार किया कि घटनास्थल से मुलजिमा से नेमीचन्द जी ने शराब की जरीकेन जब्त नहीं की थी। इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि हेड कानि. मांगीलाल ने मुलजिमा चन्द्रकला से शराब जप्त नहीं की थी, जबकि नेमीचन्द जी ने की थी। इस प्रकार स्वंय अनुसंधान अधिकार के कथनों से स्पष्ट होना जाहिर नहीं है कि मुलजिमा से शराब किसने जब्त की थी।

20. इसी अनुक्रम में अन्य गवाह पी ड 3 महावीर प्रसाद सेम्पल एफएसएल जमा करवाने का गवाह है जिसने सैम्पल शीशी में बन्द होने व सीलचिट होने व सीलचिट शीशी को ही उसके द्वारा एफएसएल में जमा करवाने के कथन किए है। गवाह ने दौराने जिरह इस सुझाव को स्वीकार किया है कि अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 6 वह लेकर गया था। प्रदर्श पी 6 में ए से बी भाग में सही लिखा है या गलत लिखा है वो अनुसंधान अधिकारी ही बता सकता है। आगे कथन किया कि प्रदर्श पी 7 में ए से बी भाग में लिखा हुआ सही है। आगे कथन किये कि उसे यह जानकारी नहीं है कि जब्त शुदा शराब 3 लीटर थी या 5 लीटर थी। उसे जो सैम्पल दिया था वह उसे लेकर गया था।

21. अब यदि हम प्रदर्श पी 6 का अवलोकन करें तो उसमें ए से बी भाग में अंकित है कि श्रीमती चन्द्रकला पत्नी शिवराज सांसी उम्र 28 साल निवासी राधी का बाडा थाना जहाजपुर के कब्जे से अवैध हथकड कशीद कच्ची शराब 5 लीटर बरामद की गयी। जिसमें से नमूना सेम्पल लिया गया। जबकि हस्तगत प्रकरण में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में 5 लीटर के जरीकेन में 3 लीटर हाथकशीद शराब ही अभियुक्ता के कब्जे से पाना अंकित किया है एवं गवाहों ने भी तीन लीटर हाथ कशीद शराब ही अभियुक्ता के कब्जे में होना अभिकथित किया है। जिससे उक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी 6 के मौखिक साक्ष्य से एवं लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 से विरोधाभासी होने व प्रदर्श पी 7 में ए से बी भाग

में अभियुक्ता चंद्रकला सांसी द्वारा 3 लीटर अवैध हाथकशीद कच्ची शराब अपने कब्जे में रखने का अंकन हेाना जो प्रदर्श पी 6 से भिन्न होने से भी अभियोजन कहानी संदेहपूर्ण दर्शित होती है।

22. इसी अनुक्रम में गवाह पी ड 7 नेमीचन्द ने दौराने मुख्य परीक्षा कथन किए हैं कि वह दिनांक 14.06.2016 को थाना जहाजपुर में एसएच ओ के पद पर पदस्थापित था। उस दिन श्री मांगीलाल हेड कानि0 मय पुलिस जाप्ता के आरोपिया चन्द्रकला सांसी के कब्जे शुदा तीन लीटर हथकड शराब के गवाह के समक्ष रिपोर्ट सहित पेश की। जिस पर उसके द्वारा आरोपिया चन्द्रकला के समक्ष कब्जे शुदा हथकड शराब के जरिकन से 300 एमएल हथकड शराब एक अद्धे मे निकालकर सिलचिट किया शेष हथकड शराब को पांच लीटर के जरिकन में ही रखकर सिलचिट कर मार्क ए तथा ए 01 दिया। मुकदमा नम्बर 160/16 धारा 16/54 एक्ससाईज एक्ट में दर्ज कर परमेश्वर प्रसाद एसआई के जिम्मे किया। उक्त प्रकरण की एफआईआर प्रदर्श पी 01 है जिस पर सी से डी तथा चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 पर सी से डी गवाह के हस्ताक्षर हैं। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 04 बनाई जिस पर एक्स स्थान पर आरोपिया चन्द्रकला के हस्ताक्षर ए से बी, सी से डी गवाहन के हस्ताक्षर है। इ से एफ गवाह के हस्ताक्षर है। आरोपिया चन्द्रकला को जरिये फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी05 गिरफतार किया जिस पर एक्स स्थान पर आरोपिया चन्द्रकला के हस्ताक्षर है। जी से एच गवाह के हस्ताक्षर है। नमूला सैम्पल परीक्षण हेतू महावीर कानि0 को एसपी ऑफिस भीलवाडा जरिये पत्र प्रदर्श पी 06 रवाना किया जिस पर सी से डी गवाह के हस्ताक्षर है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 शामिल पत्रावली की जिस पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर है। सम्पुर्ण अनुसंधान पश्चात आईओ द्वारा पत्रावली उसके समक्ष पेश की, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिमा चन्द्रकला के विरूध धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में जुर्म प्रमार्णित पाये जाने पर आरोप पत्र गवाह के द्वारा न्यायालय में पेश किया। दौराने जिरह गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि मांगी लाल हेड कानि. के द्वारा चन्द्रकला सांसी को डिटेन कर उसके समक्ष पेश किया। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने मौके से चन्द्रकला सांसी के कब्जे से हथकड शराब नहीं पकडी। फिर कहा की मोके पर

मांगीलाल हेड कानि. मय जाप्ता के द्वारा पकड़कर उसके समक्ष थाने पर पेश की। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि व्यक्ति आबकारी अधीनियम के तहत मोके पर ही जप्ती बनाता है।गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि मांगीलाल हेड कानि. के द्वारा शराब की फर्द जप्ती नहीं बनाई। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि मांगीलाल हेड कानि. ने मोके पर शराब की जप्ती नही बनाई इस सम्बन्ध में गवाह ने मांगीलाल से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा दर्ज किये गिरफतार नहीं किया जा सकता है लेकिन डिटेन किया जा सकता है। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि इस प्रकरण में वह ना तो अन्वेषण अधिकारी है और ना ही वह मोके पर शराब पकड़ने वाला अधिकारी था। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने केवल मांगीलाल हेड कानि0 के कहने मात्र से ही चन्द्रकला की गिरफतारी की है। आज उसे निश्चित याद नहीं है कि जप्त शुदा जरिकेन का ढक्कन किस कलर का था। उसने जरिकेन को सिलचिट ढक्कन के उपर ही किया था। प्रदर्श पी 04 जप्त किया उस समय स्वतंत्र गवाह नही थे। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि दोनो मौतवीर उसके अधीनस्थ होकर पुलिस कर्मी थे। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उच्च अधिकारीयो के आदेशानुसार मांगीलाल हेड कानि0 मय जाप्ता के माईनर एक्ट की कार्यवाही हेतू थाने से रवाना हुआ था। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उच्च अधिकारी के कहने पर आदेश की पालना में मांगीलाल हेड कानि0 ने अवैध शराब का झुठा मुकदमा दर्ज कराया हो। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके समक्ष मांगीलाल हेड कानि0 ने हथकड शराब सहित चन्द्रकला को पेश किया था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि चन्द्रकला व अवैध हथकड शराब मांगीलाल जी के कस्टडी में थे।

परन्तु यहां ये उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में मांगीलाल हेड कानि. जो कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पेशकर्ता है जिस रिपोर्ट पर हस्तगत मुकदमा दर्ज किया गया था। एवं जो मौके का गवाह था एवं जिसके लिए गवाह पी ड 7 नेमीचन्द ने दिनांक 14.06.2016 को मांगी लाल हेड कानि द्वारा मय जाप्ते के आरोपिया चन्द्रकला के कब्जेशुदा 3 लीटर हथकड शराब के उसके समक्ष पेश

करना बताया है। उक्त गवाह मांगीलाल ने घटना की दिनांक ही भिन्न बताई है गवाह पी ड 7 नेमीचन्द घटना 14.06.2016 अभिकथित करता है। जबकि गवाह पी ड 1 मांगीलाल घटना 14.04.2016 की अप्रेल माह की होना व स्वयं द्वारा घटना की रिपोर्ट दिनांक 14.04.2016 को ही देना बताता है। जिससे उक्त दोनों महत्वपूर्ण गवाहों के कथनों में घटना की तारीख (माह) के बारे में ही विरोधाभास होना दर्शित है जिससे अभियोजन कहानी की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त गवाह पी ड 7 नेमीचन्द स्वंय द्वारा आरोपिया चन्द्रकला के समक्ष कब्जेशुदा हथकड शराब की जरीकेन से 300 एमएल हथकड शराब एक अद्धे में निकालकर सीलचिट करना, मुकदमा नम्बर 160/16 दर्ज करना, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 4 बनाना, आरोपिया चन्द्रकला को जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 5 गिरफ्तार करना अभिकथित करता है। जबकि मौके के चश्मदीद गवाह जो जाप्ता दल के सदस्य हैं उनके न्यायालय के समक्ष दिए विरोधाभासी कथनों से फर्द जब्ती प्रदर्श पी 4, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 5 की संदेह से परे पुष्टि नहीं हुई है ना ही इस तथ्य की संदेह से परे पुष्टि हुई है कि सैम्पल मौके पर निकाला गया था या थाने पर। इसके अतिरिक्त मौके व जाप्ते के गवाहों के विरोधाभासी कथनों से सम्पूर्ण अभियोजन कहानी की सत्यता पर ही संदेह उत्पन्न होता है।

23. दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्वांत है कि जब तक अभियोजन अपने मामले को पूर्णतया संदेह से परे साबित न कर दे, तब तक अभियुक्त पक्ष के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अपने मामले को पूर्णतया संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः अभियुक्ता को अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राज. आब. अधि. के आरोप में संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

24. परिणामतः अभियोजन पक्ष अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्ता चन्द्रकला के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राज. आब. अधि. को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। लिहाजा अभियुक्ता चन्द्रकला को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राज. आब. अधि. से दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

○:: आदेश ::○

25. अतः अभियुक्ता चन्द्र कला पत्नी शिवराज सांसी उम्र 28 साल निवासी राधी का बाडा थाना जहाजपुर जिला भीलवाडा को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राज. आब. अधि. के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्ता के नियमित उपस्थिति बाबत् लिए गए जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

26. अभियुक्ता को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्ता माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् अपने 437ए दं0प्र0सं0 के तहत दस हजार रुपये का जमानतनामा व इसी कदर राशि का मुचलका पेश कर तस्दीक करावे जो आगामी 06 माह के लिए प्रवृत्त रहेगा।

27. प्रकरण में जप्त शुदा शराब बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट करने हेतु पुलिस थाना जहाजपुर को तहरीर जारी हो।

28. निर्णय की प्रति अविलम्ब ई-कोर्ट वेबसाईट पर अपलोड की जावे।

{कनिष्का यादव}
न्यायिक मजिस्ट्रेट
जहाजपुर, भीलवाडा

29. निर्णय आज दिनांक 09-03-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{कनिष्का यादव}
न्यायिक मजिस्ट्रेट
जहाजपुरए भीलवाडा